S@MPADA

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 857 / सम्पदा गो–लाईव – 57 / 2015 भोपाल, दिनांक 07.07.2015

प्रति

वरिष्ठ जिला पंजीयक,
उज्जैन, मध्यप्रदेश।

विषय – कलेक्टर द्वारा पदीय हैसियत में निष्पादित किए गए दस्तावेजों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्री एमएल माथुर एवं श्री ललित प्रजापति, अधिवक्ताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि कलेक्टर द्वारा निष्पादित माईनिंग लीज के दस्तावेजों में उप पंजीयक द्वारा कलेक्टर की फोटो चाही जा रही है। यह सम्पदा परिपत्र–38 में दिए गए निर्देशों के पूर्णतः प्रतिकूल है।

उक्त परिपत्र में निर्देश दिए गए थे कि सम्पदा एप्लीकेशन के अन्तर्गत दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर, अंगुष्ठ निशान एवं फोटोग्राफ्स लिया जाना अनिवार्य होने के कारण कलेक्टर द्वारा उनकी पदीय हैसियत में निष्पादित किए गए दस्तावेजों में संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी अथवा कर्मचारी के हस्ताक्षर, अंगुष्ठ निशान एवं फोटोग्राफ्स लिए जाकर दस्तावेज का पंजीयन बिना किसी विलम्ब के किया जाएगा।

यह सुनिश्चित करें कि उक्त निर्देशों का उप पंजीयकों द्वारा पालन किया जाए। यदि किसी उप पंजीयक ने जानबूझकर ऐसी आपत्ति लगायी है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा जाए।

Dipali Rastogi
(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 858 /सम्पदा गो–लाईव – 57 / 2015 भोपाल, दिनांक 07.07.2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. कलेक्टर, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
3. उप महानिरीक्षक पंजीयन, इन्दौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री स्वप्नेश शर्मा, जिला पंजीयक एवं प्रभारी, सम्पदा परियोजना प्रबंधन इकाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।